मु० नं० अपील 04/2023
कल्याणी बनाम महेन्द्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इस
15/7/24	पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखा गया, निर्णय की प्रति तहसील सहित तहसीलदार, बसवा को वास्ते पालना रिकार्ड भेजी जावें है, पत्रावली के फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर, नकल सिलक हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी ... जिला मजिस्ट्रेट ... (दौसा) राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :–अपील 04/2023
निर्णय दिनांक :– 15.07.2024

प्रकरण :– अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 711 दिनांक 13.8.1969 ग्राम बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा राजस्थान

प्रकरण का उनवान

1. कल्याणी पुत्री भौरंया
2. कमली पुत्री भौंरया
3. प्रभाती पुत्री भौंरया
4. भौंती पुत्री भौंरया

जाति माली निवासी बीठरवाल की ढाणी, नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला–दौसा, राजस्थान

(अपीलार्थीगण)

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र रामनिवास जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
2. बबली पुत्र रामनिवास जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
3. राधा बेवा रामनिवास जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
4. बीना पुत्री रामनिवास जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
5. पप्पी पुत्री रामनिवास जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
6. मंजु पुत्री रामनिवास जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
7. रामस्वरूप पुत्र रामल्या जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
8. राजेन्द्र पुत्र किशोरीलाल जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
9. सुरेश पुत्र किशोरीलाल जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
10. मनीष पुत्र किशोरीलाल जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
11. लाली बेवा किशोरीलाल जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
12. विमला पुत्री किशोरीलाल जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
13. धन्ना पुत्र छाज्या जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
14. सुआ पुत्र छाज्या जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
15. जीतू पुत्र कैलाश जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
16. मुकेश पुत्र कैलाश जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
17. मनीष पुत्र कैलाश जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
18. ममता पुत्री कैलाश जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
19. संतो पुत्री कैलाश जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
20. मंजु पुत्री कैलाश जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
21. गंगा पुत्री कैलाश जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
22. प्रहलाद पुत्र लल्लू जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
23. मोहन पुत्र लल्लू जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

24. कमलेश पुत्र लल्लू जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
25. नहनी बेवा लल्लू जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
26. राजन्ती पुत्री लल्लू जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
27. रामबाई पुत्री लल्लू जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
28. अनिता पुत्री लल्लू जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
29. फूली पुत्री लल्लू जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
30. रामफूल पुत्र गंगासहाय जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
31. सुरेश पुत्र गंगासहाय जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
32. लोकेश पुत्र गंगासहाय जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
33. श्रवणी बेवा गंगासहाय जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
34. बाबूलाल पुत्र चन्दर जाति माली, निवासी गुल्लाना रोड,गुढावालो की ढाणी,बसवा
35. ग्राम पंचायत बसवा, पंचायत समिति बसवा, हाल परिवर्तित नगरपालिका बसवा जरिये अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी महोदय, बसवा तहसील बसवा जिला—दौसा राज.

(प्रतिवादीगण)

—: निर्णय :—

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

दिनांक :— 15.07.2024

उपस्थिति :—1.अपीलार्थीगण की ओर से — एडवोकेट श्री मनोज मिश्रा

2.प्रत्यर्थीगण संख्या 30 से 34 की ओर से एडवोकेट श्री नवलसिंह गुर्जर एवं श्री रामेश्वर प्रसाद मीना

पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई । प्रश्नगत प्रकरण संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा इस आशय की अपील पेश की गई कि 1. ग्राम बसवा के खाता संख्या नया 399 पुराना 396 —आराजी खसरा नंबर 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181 कुल किता 9 कुल रकबा 3.47 हैक्टयर में रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 34 जमाबंदी अनुसार काश्तकार अंकित हैं। 2. ग्राम बसवा के खाता संख्या नया 431 पुराना 427 आराजी खसरा नंबर 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5907, 5908, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5966 कुल किता 29 कुल रकबा 3.35 हैक्टयर भूमि में रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 34 जमाबंदी अनुसार काश्तकार अंकित हैं। 3. ग्राम बसवा के ही खाता संख्या नया 940 पुराना 91[illegible] नंबर खसरा नंबर 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, कुल किता 6 कुल रकबा [illegible] हैक्टयर में भी रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 34 जमाबंदी अनुसार काश्तकार अंकित [illegible] । अपील में अंकित जिम्मन नंबर 1, 2 एवं 3 में वर्णित वादग्रस्त भूमि के साबिक [illegible]सरा नंबर 2176, 2176/1, 2176/2, 2226, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3669 से बने हैं । अपीलांट्स के पितामह मृतक मूल्या पुत्र छौटया के वारिसान को पक्षकार बनाया है । जो कि कमशः छाज्या, रामल्या व चंदर रहे हैं इन्हें पक्षकार बनाया गया है । अपील के जिम्मन नंबर 1, 2 व 3 में वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

अपीलांट एवं रैस्पोंडेंट की पुश्तैनी भूमि रही है । अपीलांट्स के पितामह मूल्या पुत्र छौटया की मृत्यु के उपरांत मृतक मूल्या पुत्र छौट्या का विरासत का नामान्तकरण संख्या 711 दिनांक 13.8.1969 मृतक मूल्या के वैध वारिसान 4 पुत्रों यथा भौंरया, छाज्या, रामल्या, चंदर का नाम पटवारी हलका द्वारा कॉलम संख्या 11 में दर्ज किया गया । किंतु रेस्पोंडेंट संख्या 35 ग्राम पंचायत बसवा द्वारा केवल 3 पुत्रों यथा छाज्या, रामल्या एवं चंदर के नाम ही स्वीकृत किया गया, एवं अपीलांट्स के पिता भौंरया का नाम दर्ज नहीं किया गया । लिहाजा बिना विधिक जांच पडताल एवं सहवन से हुई, जिसे दुरस्त करवाने के लिये अपीलांट्स , जो कि मृतक भौंरया की पुत्रिया हैं, अधिकारी है । भूमि वादग्रस्त में अपीलांट्स के पिता भौंरया का हिस्सा 1/32 आरंभ से ही रहा है । लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार करके, नामान्तकरण संख्या 711 दिनांक 13.8.1969 को निरस्त करके, तहसीलदार बसवा को इस आशय के साथ पत्रावली रिमाण्ड की जावे कि बाद जांच व गुणावगुण के आधार पर नामान्तकरण कार्यवाही पुनः अमल में लाई जावे ।

वकील अपीलांट्स द्वारा इसी अपील के संलग्न नामान्तकरण संख्या 711 दिनांक 13.8.1969 के अनुसार अपील के जिम्मन नंबर 1, 2 एवं 3 में अंकित भूमियों पर प्रा.पत्र स्थगन वास्ते स्थगन हेतु प्रा.पत्र प्रस्तुत किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके, रेस्पोंडेंटस को नोटिस जारी किये गये, प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 29 बाद तामील अनुपसिथत रहे लिहाजा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रत्यर्थीगण संख्या 30 से 34 की ओर से एडवोकेट श्री नवलसिंह गुर्जर एवं श्री रामेश्वर प्रसाद मीना द्वारा उपस्थिति प्रदान की । रेस्पोंडेंट संख्या 35 की ओर से स्वयं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बसवा उपसिथत आए ।

प्रत्यर्थीगण 30 लगायत 34 की ओर से लिखित बहस पेश किया कि पैरा संख्या 1 लगायत 4 राजस्व रिकोर्ड से संबंधित है । पैरा संख्या 5 में अंकित सजरा खानदार सही है । पैरा संख्या 6 में अंकित अपील के जिम्मन संख्या 1, 2 एवं 3 में अंकित भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट्स की पुश्तैनी भूमि रही है । । अपीलांट्स के पितामह मूल्या पुत्र छौट्या की मृत्यु के पश्चात मृतक मूल्या की विरासत का नामान्तकरण संख्या 711 दिनांक 13.8.1969 में मृतक के वैध वारिसान अपीलांट्स के पिता भौंरया व छाज्या, रामल्या, चंदर चारों के नाम नामान्तकरण पडत में हलका पटवारी द्वारा कॉलम संख्या 11 में दर्ज किये गये थे, किंतु रेस्पोंडेंट संख्या 35 द्वारा स्वीकृति के दौरान अपीलांट्स के पिता भौंरया को छोडकर शेष तीनों वारिसान छाज्या, रामल्या एवं चंदर के नाम नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया । जो की शुरू से ही अवैध है । ऐसी दशा में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 711 दिनांक 13.8.1969 को खारिज किया जाकर पत्रावली रिमाण्ड की जावे एवं तहसीलदार बसवा बाद जांच व गुणावगुण के आधार पर नामान्तकरण कार्यवाही पुनः अमल में लाई जावे ।

वकील अपीलांट्स द्वारा जो स्थगन प्रा.पत्र वास्ते अपील में अंकित जिम्मन नंबर 1, 2 एवं 3 भूमियों के कम में स्थगन प्रा.पत्र पेश किया है, वह तकनीकी रूप से गौर फरमाने योग्य नहीं है । यदि अपीलांट्स को उक्त भूमियों के कम में किसी प्रकार का सथगन आदेश का अनुतोष वांछित था, तो वे नियमानुसार पृथक से एक प्रकरण वास्ते अस्थाई/स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करते, जिसको भी पृथक से न्यायालय हाजा में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

किया जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये जाते है । अतः यह स्थगन प्रा.पत्र तकनीकी रूप से प्रकियागत नहीं होने से, इसे खारिज किया जाता है ।

प्रकरण में वकील अपीलांट्स की बहस सुनी गई । बाद अवलोकन पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के आधार पर हम इस तथ्य को सही व उपयुक्त पाते हैं कि नामान्तकरण संख्या 711 दिनांक 13.8.1969 के कॉलम संख्या 11 में राजस्व कार्मिकों द्वारा मृतक मूल्या के चारों वैध वारिसान यथा अपीलांट्स के पिता भौंरया एवं साथ–साथ छाज्या, रामल्या व चंदर पुत्रान मूल्या का नाम अंकित किया गया । किंतु सहवन से हुई त्रुटि के कारण, अपीलांट्स के पिता भौंरया को छोडते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 35 के द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया । जबकि मृतक मूल्या की विरासत की भूमि मेंपुत्र भौंरया के भी अन्य भाईयों के समान हक हकूक थे अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायहित एवं विधिक प्रकिया में उचित प्रतीत होती है ।

आदेश

अतः ग्राम बसवा के नामान्तकरण संख्या 711 दिनांक 13.8.1969 को निरस्त किया जाकर, तहसीलदार बसवा को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण से जुडे अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट्स को सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए, नामान्तकरण संख्या 711 दिनांक 13.8.1969 की पुनः सुनवाई करके, राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत निर्णित करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर हो, निर्णय एवं मूल अपील की सत्यप्रति तहसीलदार बसवा को मय तहरीर जारी की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:50 IST
Reason: SelfAttested